राजस्थान सरकार

कार्यालय ज़िला कलक्टर (आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग) झालावाड़

क्रमांक / सहायता/निविदा/2020–21/ 516 **दिंनाक** :– 09/03/2021

खुली निविदा सूचना –01/2020–21

कार्यालय जिला कलक्टर, झालावाड को आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा हेतु आपदा गतिविधियों के लिए प्राप्त बजट के अन्तर्गत फायर सूट क्रय कियें जानें हेतु खुली निविदा आंमत्रित की जाती है। सामग्री के निर्माता/अधिकृत आपूर्तिकर्ता अपनी दरें सील बन्द लिफाफें में दिंनाक 18/03/2021 को समय दोपहर 2.00 बजे तक प्रस्तुत करें, प्राप्त निविदाओं को उसी दिन सायः 3.30 बजे क्रय समिति के समक्ष खोला जावेगा।

क्र. सं.	क्रयकी जानें वाल सामग्री का विवरण	अनुमानित राशि (लाखों में)	निविदा प्रपत्र शुल्क	बोली प्रतिभूति राशि
1	फायर सूट–2 नग , संलग्न निर्धारित स्पेशिफिकेशन के अनुसार	300000/–	200/–	3000/–

1. निविदा दाता को निविदा का सील बन्द लिफाफा कार्यालय के निविदा बाक्स मे ही डालना होगा। डाक द्वारा प्राप्त निविदाओं पर विचार नही किया जायेगा।

2.निविदा प्रपत्र आईटम के निर्धारित स्पेशिफिकेशन एवं सम्बन्धित शर्तेः–इस कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में निर्धारित शुल्क राशि का डी0डी0 जो ज़िला कलक्टर झालावाड़ के नाम जारी हो , जमा कराकर प्राप्त किया जा सकता है।

3.बोली प्रतिभूति राशि ज़िला कलक्टर (सहायता) झालावाड़ के नाम देय बैंक ड्राफ्ट जमा करवाया जा सकता है, जो स्थानीय बैंक शाखा में देय होगा।

4.उक्त निविदा सूचना मय निविदा प्रपत्र के **SPPP PORTAL – sppp.rajasthan.gov.in** पर उपलब्ध है। निविदादाता उक्त वेबसाईट से भी निविदा प्रपत्र प्राप्त कर सकते हैं, जिसका निविदा शुल्क निविदा जमा करने के साथ ही कार्यालय में जमा करवाना होगा।

5. आर0 टी0 पी0 पी0 अधिनियम 2012 व आर0 टी0 पी0 पी0 नियम 2013 एवं सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम तथा समय–समय पर जारी विभागीय दिशा निर्देश के समस्त सम्यक प्रावधान इस बोली आमंत्रण पर लागू होंगे। इस डॉक्युमेंट व उक्त अधिनियम/नियम के प्रावधानों में विरोधाभास होने पर अधिनियम/नियम के प्रावधान प्रभावी मानें जायेंगे।

6.निविदा को बिना कारण बताये अस्वीकार करने का अधिकार अधोहस्ताक्षकर्ता/कमेटी के पास सुरक्षित रहेंगा।

7. निविदा शुल्क बोली प्रतिभूति राशि जी0एस0टी0 पंजीयन प्रमाण पत्र नियत तिथि व समय पश्चात् प्राप्त निविदा स्वीकार नही की जावेगी।

ज़िला कलक्टर
(सहातया) झालावाड

क्रमांकः–सहायता/निविदा/2020–21/ 517–21 **दिंनाक** :– 09/03/2021

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एंव पालनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. श्रीमान् निदेशक सूचना एवं जन संपर्क निदेशालय राजस्थान जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त निविदा सूचना का प्रकाशन किसी भी राज्य/संभाग स्तरीय समाचार पत्र में न्यूनतम स्पेस में डी.आई.पी. आर की दरों पर करवाया जाकर बिल भुगतान हेतु स्थानीय कार्यालय में प्रेषित करवाये जाने का श्रमकरें।
2. उपनिदेशक सूचना एवं जन संपर्क कार्यालय झालावाड़ को प्रेषित कर लेख है कि उक्त निविदा सूचना का प्रकाशन निदेशक महोदय डी.आई.पी.आर. जयपुर से संर्पक कर शीघ्र करवाये।
3. नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।
4. नोटिस बोर्ड जिला सूचना केन्द्र झालावाड ।
5. रक्षित पत्रावली।

ज़िला कलक्टर
(सहातया) झालावाड

कार्यालय जिला कलक्टर, आपदा प्रबधंन, सहायता एंव नागरिक सुरक्षा विभाग, झालावाड

निविदा प्रपत्र

निविदा प्रपत्र शुल्क रूपये 200/– का डी.डी/बैंकर्स चैक संख्या...दिंनाक.......... ....से जमाकर निविदा प्रपत्र मै0...को अपलोड/प्राप्त की गई ।

निविदा प्रपत्र (फायर सूट आपूर्ति हेतु)		
1	निविदा प्रपत्र प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम व पता	
	समग्री /सेवा का विवरण जिसके लिए बोली प्रस्तुत की जा रही है	
	मोबाईल नम्बर/टेलिफोन नम्बर	
	जी0एस0टी0 पंजीकरण संख्या	
	बैंक खाता संख्या/बैंक एवं शाखा नाम/IFSC Code	
	पैनं नम्बर(फर्म /प्रोपराईटर)	
	निविदा प्रपत्र शुल्क	200/– रूपये
2	निविदा जिसकों सम्बोधित की जानी है	जिला कलक्टर, (सहायता) झालावाड
3	निविदा सूचना संख्या व दिनांक	
4	निविदा प्रतिभूति राशि रू..................................../–डी0डी0 संख्या........................दिंनाक .... संलग्न है।	
5	मैं/हम जिला कलक्टर(सहायता) झालावाड द्वारा जारी की गई निविदा सूचना संख्या................में वर्णित सभी शर्तो से सलग्न शीट में दी गयी उक्त निविदा सूचना की अतिरिक्त शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करते है(इनमें सभी पृष्ठों पर उनमें उल्लेखित शर्तो को हमारे द्वारा स्वीकार किए जानें के प्रमाण पत्र में हमने हस्ताक्षर कर दिये है।	

निविदादाता के

हस्ताक्षर मय मोहर

कार्यालय जिला कलक्टर, (आपदा प्रबधंन, सहायता एंव नागरिक सुरक्षा विभाग) झालावाड

Specification of Fire Suit

Fire Fighting Suit

Specification and Design of Coat	**1. 4-Layer construction (outer shell, moisture layer, Thermal Layer, inner lining) 2- Reinforcements on Elbow 3- Adjustable torch loop and holder, radio pocket for portable radio 4- Mullti layer throat tab to give full Protection on throat Color option: Dark Blue**
Specification and Design of Pants	**1. 4- layer construction as Coat 2. Elastic waistband on both sides of the waist 3. Rein forcement on Knees 4. Anti- wicking strip at hem of pants to prevent water absorbing 5. Two side cargo pockets with drainage holes. 6. Hem at leg bottom curved upwards at heel area Color options: Dark Blue**
Size	**XXL to XXXL**
Weight (Coat & Pants)	**3 to 4 kg.**
Outer Shell material (A) Weight (B) Weaving (c)	**(A) Inherently Fire- Resistant Fabric, about 90-95% Meta -aramid +5-7%, Para – aramid + 2-5% anti static (B) 200-250 g/m2 (c) Twill**
Moisture layer	**It shall be Membrane Laminated with, Weave fabric, Heat resistant, water penetration resistant, breathable and blood penetration resistant & blood pathogens resistance. Original test report or authenticated copy is required**
Thermal Layer	**It Shall be flame- resistant fabric Composititon : 100% Aramid**
Inner Lining	**It shall be INHERENTLY flame- resistant fabric. 50% aramid with 50% fr viscose plane weave**
Threads	**Sewing thread used for stitching of fireman suit shall be of heavy duty and inherently flame resistant**
Zipper	**Made by high quality FR zipper**
Reflective tapes	**Reflective material silver/Light green jacket and over trouser**
FIRE RESISTANT HOOD	**Layers construction protects from top to end, including throat. Neck and part of shoulders. Designed with double rib knitted fabric that allows better scretch, fabrics made by 100% meta-aramid. Applied to fully wrap the face with no gaps. The anti-flash hood shall be super soft and comfortable for wearer that feels barrer-less. Tube shape design shall be in accord all head sizes. One sixe fit all. Perfectly designed for optimal fit with most SCBA masks, optional colours in production shall include dark blue. Material:-100% Meta-aramid Colour:-Dark blue Construction:-Full faced, light, weight, double layer**
GLOVES	**Out shell:Natural split, durable and soft water repellent, low abosorption of water.Heat resistance and flame retardant, high abrasion resistance, tear resistance, puncture resistance Moisture barrier: flame retardant moisture barrier, durable and breathable, prevent from chemical and blood pathogen,**
HELMET	**The helmet should be incredibly light. The optimized shabe and low ride height enhance the balanced feel ot the helmet to provide you a comfortable fit over long periods of wear. Certification:-Certification required European Norms**
FIRE FIGHTING BOOT	**BOOT HEIGHT: 14-16 inches LOWER MIDSOLE : 9-10 mm coated felt INSULATION : 4.5-5 mm open cell foam TOE LINING: 70-80 mm net lining calendar coated. LINING CONSTRUCTION : Stitched down linings ensure no liner putt-out.High abrasion nylon heel non&slip provides maximum wear and secure fit. FOODBED:Exrta cushioning, drier, and healthier environment under the foot. STEEL TOE:TO Meet all standards STELL PR PLATE: Stainless stell to meet all standards STEEL SHANK: Double ridged steel. OUTSOLE:One piece molded PULL ON LOOPS: Rubber coated pull-on loops for durability**

निविदादाता के
हस्ताक्षर मय मोहर

निविदादाता

के हस्ताक्षर मय मोहर

कार्यालय जिला कलक्टर, (आपदा प्रबधंन, सहायता एंव नागरिक सुरक्षा विभाग) झालावाड

निविदादाता द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र

निविदा की समस्त जानकारी/शर्तो को मैंने /हमने अच्छी तहर अध्ययन कर लिया है। मैं/हम यह भी प्रमाणित करते है कि मैं/हम उक्त कार्य हेतु रजिस्टर्ड है, वास्तव में बोली में चाहा गया व्यवसाय किया जाता है, एवं उनका /उनके/मैं/ हम बोनाफाईड निर्माता /थोक विक्रेता/सोल वितरक /प्राधिकृत डीलर/होलसेलिगं/विपणन/एजेन्ट हूँ/है ।

तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 की धारा एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 39 के अनुसार हमारी फर्म को अथवा हमारी फर्म की किसी सामग्री को पूर्व में किसी विभाग /राज्य सरकार /केन्द्रिय सरकार या इस उपापन संसाी से अपात्रता के लिए विवर्जित (Debarred) ब्लेक लिस्टेड घोषित नहीं है। उक्त घोषण पूर्ण सत्य एंव सही ही है। तथा यह घोषण अथवा अन्य कोई भी कथन असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाही जो, की जा सकती है पर प्रतिकूल प्रभाव डाले, बिना, मेरी/हमार बोली प्रतिभूति/एंव कार्य निष्पादन प्रतिभूति को पूर्ण रूप से सममहत कर लिया जा सकेगा तथा बोली को जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रदद् किया जा सकेगा ।

निविदादाता के

हस्ताक्षर मय मोहर

कार्यालय जिला कलक्टर, (आपदा प्रबधंन, सहायता एंव नागरिक सुरक्षा विभाग) झालावाड

<u>निविदा की सामान्य शर्ते :-</u>

1. निविदा बन्द लिफाफे में जिला कलक्टर (सहायता) झालावाड के नाम प्रस्तुत करनी होगी तथा उसके कोने में निविदादाता फर्म का पता अकिंत करना होगा । लिफाफे के ऊपर निविदा सामग्री का विवरण अकिंत करना होगा ।

2. जीएसटी रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति संलग्न करनी होगी ।

3. निविदा प्रपत्र एवं शर्ते निर्धारित शुल्क राशि 200/- का डी0 डी जमा करवाकर जिला कलक्टर झालावाड कार्यालय में दिंनाकः-18.03.2021 तक प्रातः 11.00 बजे तक प्राप्त किये जा सकते है।

4. निविदा दस्तावेज राज्य लोक उपापन पोर्टल http://sppp.rajasthan.gov.in से भी डाउनलोड किये जा सकते है जिसके बोली शुल्क राशि 200/- का डीडी/बैकर चैक जो जिला कलक्टर झालावाड़ के नाम देय होगा बोली के साथ संलग्न करना आवश्यक है।

5. निविदा प्रपत्र मय दस्तावेज बोली सुचना मे सम्बन्धित कार्य/व्यवस्था के समक्ष दिनांकः- 18.03.2021 को दोपहर 2.00 बजे तक अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में जमा करवाया जाना आवश्यक है। निश्चित समय व तिथि के पश्चात् प्राप्त बोली मान्य नही होगी।

6. प्राप्त सील बन्द निविदा दस्तावेज बोली सुचना मे सम्बन्धित कार्य/व्यवस्था के समक्ष दिनांकः- 18.03.2021 को दोपहर 3.30 बजे क्रय समिति द्वारा उपस्थित बोलीदाताओं के समक्ष खोली जावेगी।

7. निविदा प्रपत्र के साथ अनुमानित लागत का 1 प्रतिशत बोली प्रतिभुति राशि का डीडी/बैकर चैक जो जिला कलक्टर झालावाड़ के नाम देय होगा जमा कराना अनिवार्य है। अन्यथा बोली पर विचार नही किया जावेगा।

8. प्रत्येक कार्य के लिये पृथक-पृथक बोली निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करनी होगी।

9. बोली शुल्क किसी भी स्थिति मे लौटाया नही जायेगा।

10. सफल बोली दाता को ही अढ़ाई (2.50) प्रतिशत कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमा करानी होगी,उसकी जमा बोली कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि में समायोजित कर ली जाएगी एवं निर्धारित प्रपत्र में नियमानुसार 500 राशि के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर अनुबंध पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

11. दर्शायी गई दरें अनुबन्ध अवधि दिनांक 31.03.2021 तक के लिए वैध है। इसके आगे दरें परस्पर सहमति से ही बढाई जा सकेंगी।

12. किये जाने वाले भुगतान पर नियमानुसार टी.डी.एस. की राशि काटी जावेगी।

13. फर्म का जीएसटी के अन्तर्गत पंजीयन होना आवश्यक है। बोली के साथ माल एवं सेवाकर रजिस्ट्रेशन (GST) प्रमाण पत्र एवं आयकर विभाग द्वारा जारी PAN की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करना आवश्यक है।

14. बोली प्रारूप पूर्णरूपेण सही एवं स्पष्ट रूप से भरा जाना आवश्यक है। बोलीदाता बोली के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अन्त में बोली की समस्त शर्तो को स्वीकार करने के प्रमाण में हस्ताक्षर करेगा।

15. दर शब्दों एवं अंकों दोनो में लिखी जाएगी। इसमें कोई त्रुटियां (Errors) एवं /या उपरिलेखन (Overwriting) नहीं होना चाहिए। यदि कोई शुद्धियां करनी हो तो स्पष्ट रूप से की जानी चाहिए एवं दिनांक सहित उन पर लघुहस्ताक्षर कर सील (फर्म की) किए जाने चाहिए। अंको एवं शब्दों में अन्तर होने पर शब्दों में अकित दर मान्य होगी।

16. निविदा बोली प्रपत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों पर कम संख्या अंकित करनी होगी।

14. बोली प्रारूप पूर्णरूपेण सही एवं स्पष्ट रूप से भरा जाना आवश्यक है। बोलीदाता बोली के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अन्त में बोली की समस्त शर्तो को स्वीकार करने के प्रमाण में हस्ताक्षर करेगा।

15. दर शब्दों एवं अंकों दोनो में लिखी जाएगी। इसमें कोई त्रुटियां (Errors) एवं /या उपरिलेखन (Overwriting) नहीं होना चाहिए। यदि कोई शुद्धियां करनी हो तो स्पष्ट रूप से की जानी चाहिए एवं दिनांक सहित उन पर लघुहस्ताक्षर कर सील (फर्म की) किए जाने चाहिए। अंको एवं शब्दों में अन्तर होने पर शब्दों में अकित दर मान्य होगी।

16. निविदा बोली प्रपत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों पर क्रम संख्या अंकित करनी होगी।

17. अनुमोदित प्रदायकर्ता (सप्लायर) के लिए यह समझा जाएगा कि उसने प्रदाय की जाने वाली वस्तुओं की स्पेसीफिकेशन, साइज, मेक आदि की सावधानीपूर्वक जॉच करली हैं। यदि उसे इन शर्तो के किसी भाग, स्पेसीफिकेशन आदि के आशय के बारे में कोई सन्देह हो, तो वह संविदा पर हस्ताक्षर करने से पूर्व, उसे क्रेता अधिकारी से स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा।

18. विडदाता अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी के लिए नहीं सौंपेगा या उप भाडे (सब लैट) पर नहीं देगा।

19. विशेष विवरण स्पेसीफिकेशन्स :–

1– प्रदाय की गयी सभी वस्तुएं बोली में निर्धारित तकनीकी स्पेसीफिकेशन ट्रेडमार्क के पूर्णतया अनुरूप होंगी।

2– क्रेता अधिकारी का इस सम्बंध में कि क्या प्रदाय की गई वस्तुएं स्पेसीफिकेशन्स के अनुरूप हैं, किया गया निर्णय बोलीदाताओ के लिए अन्तिम एवं मान्य होगा।

3– वारंटी एवं गारंटी का खंड–बोलीदाता यह गारंटी देगा कि माल/स्टोर्स/वस्तुएं खरीदे जाने वाले उस माल/स्टोर्स/वस्तुओं की सुपुर्दगी के दिनांक से यथा विनिर्दिष्ट विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप बनी रहेगी तथा इस तथ्य के बावजूद कि केता ने उक्त मालों/स्टोर्स/वस्तुओं का निरीक्षण कर लिया हो एवं/या उन्हे अनुमोदित कर दिया गया हो, यदि उक्त मालों/स्टोर्स/वस्तुओं को उपरोक्त विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाया गया या वे समाप्त हो गए हैं (ताकि उस संबंध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अन्तिम व परिणामी होगा) तो क्रेता उक्त मालों/स्टोर्स/वस्तुओं को या उनके उस भाग को जो उक्त विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाये जाएंगे, रदद करने के लिए अधिकृत होगा। ऐसे रदद किये जाने पर माल/स्टोर्स/वस्तुएं विक्रेता की जोखिम पर होगी तथा माल आदि को रदद करने से संबन्धित समस्त उपबन्ध लागू होगे। बोलीदाता यदि उसे ऐसा करने के लिए कहा गया तो वह उस माल आदि को या उसके उस भाग को जिसे केता अधिकारी द्वारा रदद कर दिया गया हैं, बदल देगा अन्यथा बोलीदाता ऐसी क्षति के लिए भुगतान करेगा जो इसमे दी गयी शर्ते के उल्लघन के कारण उत्पन्न होगी। इसमे दी गयी कोई भी बात से इस संविदा के अधीन या अन्यथा उस संबंध में क्रेता अधिकारी के किसी अन्य अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी।

20. सप्लाई जब भी प्राप्त की जाएगी उनका निरीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा कि वे स्पेसीफिकेशन्स या अनुमोदित नमूनों के अनुरूप हैं। जहॉ आवश्यक हो या विहित किया गया हो या व्यावहारिक हो वहॉ परीक्षण सरकारी प्रयोगशालाओ, प्रतिष्ठित परीक्षण गृहों एवं तत्समान परीक्षण गृहों में कराया जाएगा तथा जहॉ पर सप्लाई किया गया सामान इन परीक्षणों के परिणामस्वरूप विहित स्पेसीफिकेशन्स के स्तर के अनुरूप पाया जाएगा, उन्हे स्वीकार किया जाएगा।

21. **परीक्षण प्रभार :** परीक्षण प्रभार बोलीदाता द्वारा वहन किए जाएंगें।

22. **रद्द करना (Rejection) :–**

1– निरीक्षण या परीक्षण के दौरान जो वस्तुएं अनुमोदित नही की जाएगी उन्हे रद्द किया जाएगा तथा बोलीदाता द्वारा उन्हें क्रेता अधिकारी द्वारा निश्चित किए गए समय के भीतर अपनी स्वयं की लागत पर बदला जाएगा।

2– तथापि, यदि सरकारी कार्य की तात्कालिक आवश्यकता के कारण पूर्ण या आंशिक रूप में उन वस्तुओ को बदलना साध्य (Feasible) नही समझा जाए, तो क्रेता अधिकारी बोलीदाता को सुनवाई किए जाने का एक उचित अवसर देकर, ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किए जाएगें, अनुमोदित दरों में से उपयुक्त राशि की कटौती करेगा। इस प्रकार की गयी कटौती अन्तिम होगी।

23. रद्द की गई वस्तुओं को बोलीदाता उन्हें रद्द करने की सूचना प्राप्त करने से 3 दिन के भीतर हटा लेगा, इसके बाद क्रेता अधिकारी किसी भी प्रकार की हानि, कमी या क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा तथा उसे बोलीदाता की जोखिम एवं उसके मद्दे पर उन वस्तुओं को जिन्हे वह उचित समझे बेचने का अधिकार होगा।

24. बोलीदाता उचित पैकिंग करने के लिए उत्तरदायी होगा ताकि समुद्र,रेल,सडक या वायुयान द्वारा परिवहनकी सामान्य स्थिति में उनमें कोई क्षति न हो तथा गन्तव्य स्थल पर माल प्राप्तकर्ता को माल की सुपुर्दगी अच्छी दशा में प्राप्त हो सकें। किसी प्रकार की हानि ,क्षति, टूटफूट या रिसाव (लीकेज) या किसी कमी के होने के मामले में बोलीदाता माल प्राप्तकर्ता द्वारा उन सामग्रियों की जॉच/निरीक्षण किए जाने पर पायी गयी ऐसी हानि एवं कमी की पूर्ति करने के लिए उत्तरदायी होगा। इसके लिए कोई अतिरिक्त लागत स्वीकार नहीं की जाएगी।

25. प्रदाय हेतु संविदा को यदि माल की सप्लाई क्रेता अधिकारी की सन्तुष्टि के अनुसार नहीं की जाती हैं, तो बोलीदाता को सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर देने के बाद क्रेता अधिकारी किसी भी समय निरस्त कर सकता हैं।

26. बोलीदाता को उसके प्रतिनिधि की और से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता (Disqualification) होगी।

27. **सुपुर्दगी अवधि :** बोलीदाता जिसकी बोली स्वीकार की जाएगी, वह सप्लाई आदेश की तारीख से आदेशानुसार आवश्यकता होने पर अविलम्ब अथवा अधिकतम सात दिवस में आपूर्ति करनी होगी। अवधि के भीतर सप्लाई करने की व्यवस्था करेगाः–

1– मात्रा की सीमा–आदेश फिर से देना : यदि बोली सूचना में दर्शित मात्रा से अधिक के लिए आदेश दिया जाता हैं, तो बोलीदाता अपेक्षित सप्लाई की पूर्ति करने के लिए बाध्य होगा। पुनः आदेश (Repeat Orders) भी बोली में दी गई शर्तो पर दिए जा सकेगें, परन्तु शर्त यह कि ऐसे पुनरादेश मूल रूप में (बोली सूचना में दर्शित मात्रा) खरीदी गयी मात्रा की 50 प्रतिशत तक की सप्लाई के लिए ही होगे यदि बोलीदाता, ऐसी सप्लाई करने में असमर्थ रहता हैं तो क्रेता अधिकारी अवशेष सामान की सप्लाई की व्यवस्था सीमित बोली द्वारा या अन्यथा प्रकार के लिए स्वतन्त्र होगा तथा जो भी अतिरिक्त लागत व्यय की जाएगी उसकी बोलीदाता से वसूली की जाएगी। यदि क्रेता अधिकारी किन्ही बोलीदत्त वस्तुओं की खरीद नही करता हैं या बोली प्रपत्र में निर्दिष्ठ मात्रा से कम मात्रा में माल खरीदता हैं, तो बोलीदाता किसी क्षतिपूर्ति का क्लेम करने के लिए अधिकृत नहीं होगा।

28. **बोली प्रतिभूति :** बोली के साथ, बोली सूचना अनुसार बोली प्रतिभूति राशि प्रस्तुत की जाएगी। इसके बिना प्राप्त बोली पर विचार नहीं किया जाएगा। यह राशि कलक्टर झालावाड के पक्ष शिडयूल बैंक का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक के रूप में जमा करायी जा सकती हैं।

1– **बोली प्रतिभूति राशि का प्रतिदाय** :– असफल बोलीदाता की बोली प्रतिभूति राशि बोली को अन्तिम रूप से स्वीकार करने के बाद शीघ्र लौटायी जाएगी।

2– **बोली प्रतिभूति से छूट** :– उन फर्मो को जो निदेशक, उद्योग विभाग, राजस्थान /जिला उद्योग केन्द्र मे सुक्ष्म/लघु/मध्यम उद्योग इकाई के रुप में पंजीकृत हैं उन मदों के संबंध में जिनके लिए वे उक्त रूप से रजिस्टर्ड की गई हैं, उनके द्वारा मूल पंजीयन प्रमाण पत्र या उसकी फोटोस्टेट प्रति या किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत् अनुप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने पर बोली आमंत्रित करने की सूचना में दिखाए गए बोली के अनुमानित मूल्य के 1/2 प्रतिशत की दर पर बोली प्रतिभूति राशि जमा करानी होगी।

3– केन्द्र सरकार एवं राजस्थान सरकार के उपक्रमों को कोई बोली प्रतिभूति राशि प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं हैं।

4– अनुमोदन की प्रतीक्षा करने वाली या रद्द की गयी या संविदाओ के पूर्ण हो जाने के कारण विभाग/कार्यालय के पास जमा बोली प्रतिभूति राशि/प्रतिभूति निक्षेप को नयी बोली के लिए बोली प्रतिभूति राशि/प्रतिभूति धन के प्रति समायोजित नहीं किया जाएगा। तथापि, यदि बोली को पुनः आमंत्रित किया जाता हैं तो इस राशि को उपयोग में लिया जा सकता हैं।

29. बोली प्रतिभूति राशि का समपहरणः बोली प्रतिभूति राशि को निम्नलिखित मामलों में सहपह्रत कर लिया जाएगा।

1– जब बोलीदाता बोली खोलने के बाद किन्तु बोली को स्वीकार करने के पूर्व प्रस्ताव को वापस लेता या उसमे उपान्तरण (Modification) करता हैं।

2– जब बोलीदाता विनिर्दिष्ठ समय के भीतर विहित किसी करार को यदि कोई हो, निष्पादित नहीं करता हों।

3– जब बोलीदाता प्रदायगी के लिए आदेश देने के बाद प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराता हों।

4– जब वह विहित समय के भीतर सप्लाई आदेश के अनुसार मदों की सप्लाई प्रारम्भ करने में असफल रहता हों।

30. करार एवं प्रतिभूति निक्षेप (Agreement and security deposit)

1– सफल बोलीदाता को कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमा कराकर करार पत्र निष्पादित करना होगा।

2– बोली के समय जमा करायी गयी बोली प्रतिभूति राशि को बोलीदाता के चाहे जाने पर कार्य निष्पादन प्रतिभूति की राशि के लिए समायोजित किया जा सकेगा।

3– बोली कार्य निष्पादन प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।

4– बोली कार्य निष्पादन राशि जिला निर्वाचन अधिकारी झालावाड के पक्ष में राष्ट्रीयकृत बैंक की बैक गारंटी, शिडयूल बैंक का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक के रूप में जमा करायी जा सकती हैं:–

1. उन फर्मो को जो निदेशक, उद्योग विभाग, राजस्थान /जिला उद्योग केन्द्र मे सुक्ष्म/लघु/मध्यम उद्योग इकाई के रुप में पंजीकृत हैं उनके द्वारा निदेशक उघोग से पंजीयन की विधिवत अनुप्रमाणित एक प्रति प्रस्तुत किए जाने पर राशि के भुगतान से आंशिक छूट दी जाएगी तथा वे बोली के अनुमानित मूल्य के एक प्रतिशत की दर पर

प्रतिभूति निक्षेप का भुगतान करेगी। अन्य के लिए यह अनुमानित लागत की 5 प्रतिशत धरोहर राशि होगी।

2. केन्द्र सरकार एवं राजस्थान सरकार के उपक्रम प्रतिभूति राशि जमा कराने से मुक्त होगे। बोली कार्य निष्पादन प्रतिभूति का समपहरण' बोली कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपहृत किया जाएगा।

1— जब संविदा की शर्तो का उल्लंघन किया गया हो।

2— जब बोलीदाता सम्पूर्ण सप्लाई संतोषजनक ढग से करने में असफल रहा हों।

3— बोली प्रतिभूति राशि को समपहृत करने क मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जाएगा। इस संबंध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।

4— करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने का व्यय बोलीदाता द्वारा वहन किया जाएगा तथा विभाग को उस करार की एक निष्पादित स्टाम्पशुदा प्रतिपडत **(Counter Foil)** निःशुल्क प्रस्तुत की जाएगी।

31. दरें एफ.ओ.आर. कार्यालय जिला कलक्टर (सहायता) झालावाड होगा एवं समस्त माल भाडा चुका कर भेजा जाएगा।

32. भुगतान :—

1— सामान की सुपुर्दगी के लिए भुगतान बोलीदाता द्वारा क्रेता अधिकारी को उचित प्रारूप में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार बिल प्रस्तुत करने पर किया जाएगा तथा सभी प्रेषण प्रभार बोलीदाता द्वारा वहन किए जाएंगे।

2— उन मामलों के संबंध में जिनमें परीक्षण करने की जरूरत हैं, भुगतान तभी किया जाएगा जब वे परीक्षण कर लिए जाएंगे तथा हुए परीक्षण परिणाम विहित स्पेसीफिकेशन के अनुरूप होगें।

33. बोली प्रपत्र में सुपुर्दगी के लिए विनिर्दिष्ठ समय को संविदों सार रूप में समझा जाएगा तथा सफल बोलीदाता क्रेता अधिकारी से वर्क ऑर्डर के प्राप्त होने से निर्धारित अवधि के भीतर सप्लाई करेगा।

34. परिनिर्धारित क्षति (Liquidated Damages) :परिनिर्धारित क्षति के साथ सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि करने के मामले में वसूली निम्नलिखित प्रतिशतता के आधार पर उन स्टोर के मूल्यों के लिए की जाएगी जिनकी बोलीदाता सप्लाई करने में असफल रहा हैं :—

1— विहित सुपुर्दगी अवधि को एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए 2.5 प्रतिशत

2— एक चौथाई अधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि से अनाधिक के लिए 5 प्रतिशत

3— आधी अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि के तीन चौथाई से अनाधिक अवधि के लिए 7.5 प्रतिशत

4— विहित अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए 10 प्रतिशत

5— विलम्ब की अवधि में आधे दिन से कम भाग को छोड़ दिया जाएगा

6— परिनिर्धारित क्षति की अधिकतम राशि 10 प्रतिशत होगी।

7— यदि प्रदायकर्ता (सप्लायर) किन्ही बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत माल की सप्लाई को पूरा करने के लिए समय में वृद्धि करना चाहता हैं, तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को

आवेदन करेगा जिसके द्वारा प्रदायगी हेतु आदेश दिया गया हैं। किन्तु वह उसके लिए निवेदन बाधा के घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि सप्लाई पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा।

8– यदि माल की सप्लाई करने में उत्पन्न हुई बाधा बोलीदाता के नियंत्रण से परे कारणों से हुई हो तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि परिनिर्धारित क्षति सहित या रहित की जा सकेगी।

35. **वसूलियां :** परिनिर्धारित क्षति, कम सप्लाई, टूटफूट, रद्द की गयी वस्तुओं के लिए वसूली साधारण रूप से बिल में से की जाएगी। कम सप्लाई, टूटफूट, रद्द किए गए मालों की सीमा तक राशि को भी रोका जा सकेगा तथा यदि सप्लायर संतोषजनक ढंग से उनको नही बदलता है तो परिनिर्धारित क्षति (लिकवीडेटेड डेमेज्स) के साथ वसूली उसकी देय राशि (क्नमे) एवं विभाग के पास उपलब्ध बोली कार्य संपादन प्रतिभूति से की जाऐगी। यदि वसूली करना सम्भव न हो तो राजस्थान पी डी आर एक्ट या प्रवृत्त किसी अन्य कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।

36. यदि बोलीदाता ऐसी शर्ते आरोपित करता हैं जो इसमें वर्णित शर्तो के अतिरिक्त हैं या उनके विरोध में हैं, तो उसकी बोली को संक्षिप्त रूप में कार्यवाही कर रद्द कर दिया जाएगा।किसी भी सूरत में इनमें से किसी भी शर्त को स्वीकार किया हुआ नहीं समझा जाएगा जब तक कि क्रेता अधिकारी द्वारा जारी किए गए बोली स्वीकृति के पत्र में विशेष रूप से उल्लिखित न किया गया हों।

37. क्रेता अधिकारी किसी भी बोली को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की बोली नही हैं, स्वीकार करने या बिना कोई कारण बतलाये किसी भी बोली को रद्द करने या जिन वस्तुओ कि लिए बोलीदाता ने बोली दी हैं, उन सब के लिए या किसी एक या अधिक के लिए बोली को स्वीकार करने या एक फर्म/सप्लायर से अधिक को स्टोर्स की मदों को वितरित करने के अधिकार को अपने पास आरक्षित रखेगा तथा न्यूनतम दर को स्वीकार कराना बाध्यकारी नहीं होगा।

38. समस्त विधिक कार्यवाही, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो किसी भी पक्षकार (सरकार या ठेकेदार) द्वारा झालावाड में स्थित न्यायालयों में ही पेश की जाएगी अन्यत्र पेश नही की जाएगी।

39. मैने सभी शर्तो का अध्ययन कर लिया है। एवं उल्लेखित सभी शर्ते मुझे स्वीकार्य हैं।

40. बोलीदाता द्वारा प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर किया जाना आवश्यक हैं।

41. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012/ नियम 2013 का ज्ञान एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012/नियम 2013 के नियम/शर्तो एवं बोली प्रपत्र में भिन्नता होने पर आरटीपीपी नियम एवं शर्ते मान्य होगे।

42. बालीदाता को दरें संलग्न दर प्रपत्र में प्रस्तुत की जानी है।

43. बोली में संशोधन बोली जारी करने के उपरान्त http://sppp.rajasthan.gov.in वेबसाईट पर ही किये जायेगें। बोलीदाताओं द्वारा वेबसाईट पर संशोधन/स्पष्टीकरण को प्राप्त नहीं करने के सम्बन्ध में किसी भी दावे का स्वीकार नहीं किया जायेगा।

44. उपरोक्त सामान की सप्लाई कार्यादेश में अंकित अवधि में ही आपूर्ति करना अनिवार्य है। अन्यथा नियमानुसार शास्ति आरोपित की जायेगें।

45. बोली प्रपत्र स्याही से भरा जायेगा या टंकित किया जायेगा पेंसिल से भरी बोली पर विचार नही किया जावेगा। बोली के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अन्त में बोली की समस्त शर्तो को स्वीकार करने के प्रमाण में हस्ताक्षर करेगा।

46. बोली में दी गई कुल दर (दर GST) के अलावा अन्य कोई प्रभार देय नही होगा ।

47. कार्य आदेश सूची अनुसार सामग्री आपूर्ति/व्यवस्था उपलब्ध करवानी होगी ।

48. केता अधिकारी या उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि सभी युक्तियुक्त समय पर प्रदायकर्ता के विनिर्माण परिसर में जाएगा तथा उसे विनिर्माण प्रक्रिया के दौरान या उसके बाद, जैसा भी निश्चित किया जावे, मालों, उपकरणों, मशीनों की सामग्री एवं कर्म– कौशल का निरीक्षण एवं जांच करने की शक्ति होगी।

49. परीक्षणो के मामले में बोली दाता या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में कार्य/व्यवस्थाओ का निरीक्षण किया जायेगा।

50. सामग्री आपूर्ति/व्यवस्था का कार्य समाप्ति पर बिल दो प्रतियो में प्रस्तुत करना होगा । सक्षम अधिकारी से प्रमाणित होने पर बिल का भुगतान किया जावेगा ।

51. बोली केवल कार्यालय द्वारा जारी प्रपत्र पर ही मान्य होगी।

52. बोली स्वीकृत/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) के पास सुरक्षित होंगें और उनका निर्णय अंतिम तथा मान्य होगा।

53. बोली स्वीकृत किए जाने से पूर्व कार्यालय के अधिकारी द्वारा यह सत्यापन किया जा सकता है कि बोलीदाता को कार्य अनुभव है अथवा नहीं। फर्म/व्यक्ति के पास पर्याप्त मात्रा में तथा उपयोग योग्य सामान उपलब्ध है या नहीं। क्या वह निर्वाचन के लिए उपयुक्त पर्याप्त सामग्री उपलब्ध कराये जाने में सक्षम हैं अथवा नहीं।

54. निम्न दरों वाली बोली के स्थान पर अन्य बोली भी स्वीकृत की जा सकेगी। आदेश देने पर निर्धारित अवधि मे व्यवस्था नहीं कराये जाने पर धरोहर राशि जब्त करली जावेगी तथा अन्य व्यवस्था किये जाने पर हुई हानि की राशि बोलीदाता से वसूल की जायेगी।

55. बोली खोलने के बाद यदि आवश्यकता हुई तो नेगोशियेशन किया जा सकता है।

56. गंतव्य स्थानों पर सामान को निर्धारित समय पर पंहुचाने की पूर्ण जिम्मेदारी फर्म की होगी। जिसके लिए कोई अतिरिक्त चार्ज देय नहीं होगा।

57. किसी भी सम्भावित दुर्घटना होने पर यदि क्षतिपूर्ति का भुगतान करना पडता है , तो बोली दाता उस क्षतिपूर्ति के भुगतान के लिए उत्तरदायी होगा ।

58. निविदा दाता को इन्फ्लेमेबल वोट विद ओ बी एम पर गारण्टी न्यूनतम तीन (3) वर्ष के लिए देने होगी।

59. अनुमोदित फर्म को अपने प्रतिनिधि को कार्यालय में निरन्तर उपस्थित रहने के लिए पाबन्द करना होगा जो समय–समय पर क्रय आदेशों को प्राप्त कर आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

60. बोली दस्तावेज शुल्क छूट :– उन फर्मो को जो निदेशक, उद्योग विभाग, राजस्थान /जिला उद्योग केन्द्र मे सुक्ष्म/लघु/मध्यम उद्योग इकाई के रुप में पंजीकृत हैं उन मदों के संबंध में जिनके लिए वे उक्त रूप से रजिस्टर्ड की गई हैं, उनके द्वारा मूल पंजीयन प्रमाण पत्र या उसकी फोटोस्टेट प्रति या किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत् अनुप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने पर बोली आमंत्रित करने की सूचना में दिखाए गए बोली दस्तावेज शुल्क का आधा शुल्क जमा कराना होगा।

मैनें सभी शर्तो का अध्ययन कर लिया है। एवं उल्लेखित सभी शर्ते मुझे स्वीकार्य है।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय सील

निविदा हेतु विशेष शर्तें (फायर सूट)

1. निविदा में निविदत्त आईटम्स के विनिर्माता/वितरत/ऑथोराइज्ड डीलर भाग ले सकेंगे। निविदादाता को विनिर्माता कंपनी द्वारा जारी वेध MAF/OEM संलग्न प्रारूप में करना होगा। उपापन संस्था द्वारा आवश्यक समझे जाने पर निविदादाता द्वारा प्रस्तुत ऑथोराईजेशन सर्टिफिकेट की पुष्टि विनिर्माता कंपनी से की जा सकेगी।

2. निविदत्त उपकरण से संबंधित सभी आईटम्स के केटलोग संलग्न करने होंगे। संलग्न केटलोग के आधार पर फायर सूट की उपयोगिता/कार्यक्षमता का विश्लेषण किया जाएगा। जिस फर्म/कंपनी का केटलोग लगाया जाएगा, उसका MAF/OEM/निर्माता होना आवश्यक है इसलिए MAF/OEM/निर्माता होने का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसके अभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।

3. निविदत्त उपकरण की संपूर्ण <u>गारण्टी/वारण्टी</u> अवधि न्यूनतम तीन वर्ष होगी, जो कि फायर सूट सप्लाई की दिनांकः– से मान्य होगी। गारण्टी अवधि पूर्ण होने के उपरांत जमा शुदा सिक्यूरिटी/अमानत राशि लौटायी जाएगी। गुणवत्ता संतोषप्रद नहीं होने की स्थिति में सिक्यूरिटी राशि जप्तराज कर ली जाएगी।

4. निविदादाता को स्वयं के खर्चे पर निविदत्त उपकरण का तय दिवस पर प्रेजेंटेशन/डेमोस्ट्रेशन देना होगा।

5. पत्र व्यवहार एवं डीडी/बैंकर चैक को जमा कराने का स्थान जिला कलक्टर कार्यालय झालावाड़, राजस्थान–326001 होगा।

6. निविदा की **Tecnical & Financial** बिड जिला कलक्टर कार्यालय, झालावाड़ में खोली जाएगी।

7. निविदा की वैधता 31.03.2021तक रहेगी।

8. निविदा का मूल्यांकन कुल राशि पर किया जायेगा।

9. सफल निविदादाता को निविदा की सामग्री का क्रय आदेश की दिनांक से 07 दिवस में जिला कलक्टर कार्यालय झालावाड़ में सप्लाई करना होगा।

10. सफलनिविदादाता को निविदा की सामग्री का भुगतान उपकरण के सफल डेमोस्ट्रेशन के पश्चात होगा।

जिला कलक्टर
झालावाड़

उक्त शर्तों की पालना हेतु हम सहमत है।

हस्ताक्षर निविदादाता
मय मोहर

कार्यालय ज़िला कलक्टर (आपदा प्रबधंन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग) झालावाड़

फायर सूट क्रय करने हेतु जारी निविदा सूचना क्रमांक..................दिनांकः–   / 03 / 2021

-B.O.Q.-

क्र0 सं0	सामग्री का नाम	मात्रा	अनुमानित मूल्य (रूपयों में)	विशेषताऐं	निविदा दाता प्रस्तुत प्रति नग दर (समस्त कर सहित रूपयों में)
1	FIRE SUIT	2	300000/-	निर्धारित स्पेशिफिकेशन के अनुसार	

निविदादाता के हस्ताक्षर
मय मोहर

नोटः–उपरोक्त प्रपत्र में ही दरें अंकित करनी है। इसके अतिरिक्त किसी अन्य प्रपत्र में दरें स्वीकार नहीं की जायेगी।

Annexure A : Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall-

(a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process.
(b) Not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation.
(c) Not indulge in any collusion, Bid rigging or anti- competitive behaviou to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
(d) Not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process:
(e) Not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process:
(f) Not obstruct any investigation or audit of a procurement process:
(g) Disclose conflict of interest, if any: and
(h) Disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of interest. A conflict of interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligation, or compliance with applicable laws and regulations.

A Bidder may be considered to be in Conflict of interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limted to:

a. Have controlling partners/shareholders in common; or
b. Receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them ; or
c. Have the same legal representative for the purposes of the Bid; or
d. Have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or Influence the decisions of the procuring Entity regarding the bidding process: or
e. The Bidder participates in more than on Bid in a bidding process. Participation by a bidder in more than one bid in result in the disqualification of all bids in which the bidder is involved. However, this does not limits the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
f. The Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, works or services that are the subject of the Bid; or
g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the procuring Entity as engineer-in-charge/consultant for the contract.

Signature of Bidder

Annexure B: **Declaration by the Bidder regarding Qulifications Declaration by the Bidder**

In relation to our Bid submitted to the Controller Civil Defence, Jhalawar for supplying Fire Fighting Suit in response to their Notice Inviting Bids No ....Dated........................ we hereby declare under Section 7 and 11 of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that;

1) I/We possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;

2) I/We have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Central Government of the State Government or any authority, as specified in the Bidding Document.

3) I/We are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and are not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;

4) I/We do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;

5) I/We do not have a confect of interest as specified in the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, the Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules and this Bidding Document, which materially affects fair competition;

6) I/We have not been black listed by any govt agency or department in last three fincinical years for giving sub standred Suppy or reverse.

Date:	Signature of the bidder:
Place:	Name:
	Designation:
	Address:

Signature Of Bidder

Appendix C: <u>Grievance Handling Procedure during Procurement Process (Appeals)</u>

The designation and address of the first Appellate Authority is Director Civil Defence Rajasthan, Jhalawar. The designation and address of the Second Appellate Authority is Principal Secatery,Disaster management, Relif & Civil defence Govt of Rajasthsn, jhalawar

1- **Filing an appeal**

If any Bidder or prospective Bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued there under, he may file an appeal to the First Appellate Authority as specified in the bidding document, within a period of ten days from the date of such decision, action, or omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings: providing further that in case a procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Finacial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

2- The officer to whom an appeal is filed under para (a) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within a period of 30 days of the date filling of the appeal.

3- If the officer designated under para (a) fails to dispose of the appeal within the period specified in para (B) or if the bidder or prospective bidder or the procuring entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the procuring entity, as the case may be, may file a second appeal to the Second Appellate Authority specified in the bidding document in this behalf within fifteen days from the expiry of the specified in para (b) or date of receipt of the order passed by the first Appellate Authority, as the case may be.

4- **Appeal not be lie in certain cases**

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

a) Determination of need of procurement;

b) Provision limiting participation of Bidders in the bidding process;

c) The decision of whether or not to enter into negotiations;

d) Cancellation of a procurement process;

e) Applicability of the provision of confidentiality.

5- **From and procedure of filing an appeal**

a) An appeal under para (1) or (3) shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents the appeal.

b) Every appeal shall be accompanied by and order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorized representative.

6- Fee for filing appeal

a) Fee for fist appeal shall be rupees 2500/- (two thousand five hundred only) and for second appeal shall be rupees 5000/- (Five thousand only) which shall be non-refundable.

b) The fee shall be paid in the form of bank, demand draft or banker's Cheque of a scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

7- Procedure for disposal of appeals

a) The Fist Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,-

(a) hear all the parties to appeal present before him; and

(b) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

c) After hearing the parties, peruse or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

d) The order passed under sub-clause (c) above shall be placed on the State Public Procurement Portal.

Signature of Bidder

s

Annexure D : Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

1- if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obivious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected.
2- If there an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and
3- If there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures, shall prevail subject to 1 and 2 above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid security shall be forfeited or its Bid securing Declaration shall be executed,

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

1- At the time of award of contract, the quantity of good, work or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit price or other terms and conditions of the Bid and the condition of contract.
2- If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than quantity specified int the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Condition of contract.
3- In case of procurement of good or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rate and condition of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of the goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fail to do so, the procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the suppler.

3. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (in case of procurement of Goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantities of the subject matter of procurement to be procured is vary large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such case, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rate of the Bidder, whose Bid is accepted.

Signature of Bidder

FORM No.I

[See rule83]

MemorandumofAppealundertheRajasthanTransparencyinPublicProcurementAct,2012

AppealNo..............................of............................

Before the .... (First/Second Appellate Authority)

1. Particulars ofappellant:
   (i) Name of theappellant:
   (ii) Official address, ifany:
   (iii) Residentialaddress:

2. Nameandaddressoftherespondent(s)
   (i) :
   (ii)
   (iii)

3. Number and date of the order appealed against and name and designation oftheofficer/authoritywhopassedtheorder(enclosecopy)orastatementofadecision,actionoromissionoftheProcuringEntityincontraventiontotheprovisionsoftheActbywhichthe appellant isaggrieved:

4. IftheAppellantproposestoberepresentedbyarepresentative,thenameandpostaloftherepresentative:

5. Number of Affidavits and documents enclosed with theappeal:

6. Grounds of appeal:
   ....
   .... (Supported by anaffidavit)

7. Prayer:
   ....
   ....
   ....

Place ....

Date ....

Annexure - 'E'

बोलीदाताओं द्वारा घोषणा

(निविदा की समस्त शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण स्वरूप तथा बोनाफाईड विनिर्माता/निर्माता/अधिकृत डीलर एवं सप्लायर)

1. मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैने/हमने जिन आईटम के लिए बोली दी है, उनका/उनके लिए मैं/हम बोनाफाईड विनिर्माता/निर्माता (सूक्ष्म/लघु)/अधिकृत डीलर/सद्भावी सप्लायर हूँ/हैं।

2. मेरे द्वारा निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न समस्त निविदा शर्तों एवं निविदा के साथ संलग्न समस्त परिशिष्ट 'ए' 'बी', सी, डी, ई, एफ, अनुलग्नकों तथा ई–बोली आमंत्रण सूचना, विस्तृत आमंत्रण सूचना एवं मुख्य शर्तो को पूर्ण रूप से पढकर समझ लिया है। मेरे द्वारा इनमें उल्लेखित शर्तो की पूर्ण पालना की गई है/करूंगा/करेंगे और मैं/हम उन्हें अक्षरशः स्वीकार करते है तथा समस्त निविदा की शर्तो की पालना हेतु बाध्य है व अन्य केन्द्रीय/राज्य सरकार के विभाग में ब्लेक लिस्टेड़ (काली सूची) में घोषित नही हूँ/हैं।

यदि यह घोषणा असत्य पाई जावे तो किसी भी अन्य कार्यवाही, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मेरी/हमारी बोली को जिस सीमा तक स्वीकार किया गया है, रद्द कर दिया जावे।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर
(बोली की समस्त शर्तें स्वीकारा करने के प्रमाण स्वरूप)

नाम ....
नाम फर्म ....
....
....

Annexure - 'F'

BIDDER'S AUTHORIZATION CERTIFICATE **{to be filled by the bidder}**

To,
{Procuring entity},
________________________________,
________________________________,

I/ We {Name/ Designation} hereby declare/ certify that {Name/ Designation} is hereby authorized to sign relevant documents on behalf of the company/ firm in dealing with NIB reference No. ______________________ dated _________. He/ She is also authorized to attend meetings & submit technical & commercial information/ clarifications as may be required by you in the course of processing the Bid. For the purpose of validation, his/ her verified signatures are as under.

Thanking you,

Name of the Bidder: -
Authorised Signatory: -
Seal of the Organization: -
Date: _____________
Place: _____________

Verified Signature:

Annexure-E

घोषणा

उपरोक्त समस्त जानकारी/शर्तो का मैंने/हमने अच्छी तरह अध्ययन कर लिया है। मुझे/हमें यह भी स्वीकार है कि जिला कलक्टर सीकर का निर्णय हमारे लिए मान्य होगा। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि मेरी/हमारी फर्म उक्त कार्य हेतु रजिस्टर्ड है तथा फर्म द्वारा वास्तव में बिड में चाहा गया व्यवसाय किया जाता है तथा वांछित मशीन/उपकरण/तकनीकी अनुभव व तकनीकी कर्मचारी आदि उपलब्ध है। राज्य सरकार/बोर्ड/विश्वविद्यालय/स्वायत्तशासी संस्थान/निगम/ बैंक आदि के द्वारा मेरी/हमारी फर्म को ब्लैक लिस्ट नहीं किया हुआ है। प्रतीकस्वरूप बिड प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर (मय सील)कर दिये है। उपरोक्त वर्णित दरें मुख्यालय सीकर की है।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो कोई भी कार्यवाही, जो की जा सकती है, की जावे तथा बिड को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

दिनांकः

बिडदाता के हस्ताक्षर मय रबर सील
बिडदाता का नाम....................................
....
पूर्ण पता ....
....
....
टेलीफोन नम्बर (निवास) ....
(कार्यालय)............................

<u>बोलीदाताओ द्वारा घोषणा</u>

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने जिन सामग्री/व्यवस्थाओं के लिए बोली दी है, उनके/उनका/मैं/हम थोक विक्रेता/वितरक/विपणन एजेण्ट/सेवाप्रदाता हूँ/हैं।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाये तो किसी भी अन्य कार्यवाही जो कि जा सकती है ,पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप से समपहृत कर लिया जा सकेगा तथा बोली को जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है , रद्द किया जा सकेगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
मय पूर्ण नाम व पता
(सील सहित)

(अनुलग्न–G)

<u>बोलीदाता द्वारा घोषणा</u>

मै/हम घोषणा करते है कि मेरे/हमारे द्वारा दी गई सूचना सत्य है। यदि असत्य पाई जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाही जो की जा सकती है पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मेरी/हमारी जमा धरोहर/प्रतिभूति राशि को पूर्ण रूप से जब्त कर लिया जाए तथा बोली को जिस सीमा तक स्वीकार किया गया है, रदद् कर दिया जावे।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
मय पूर्ण नाम व पता
(सील सहित)